कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

53

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–भोपाल

PBR/ पुनर्विलोकन/भोपाल/भू.रा./2017/4507

खालिद अमान पुत्र स्व फारूख अमान
निवासी–ई–5 फेस 2 कहकशां
काम्प्लेक्स कोहिफिजा, भोपाल (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– निरंजन राजपूत आत्मज हुकम सिंह राजपूत
निवासी–मकान नं. 118/20 आई.सेक्टर गर्ल्स स्कूल के पास पंचवटी एयरपोर्ट भोपाल (म.प्र.)

2– मध्य प्रदेश शासन

...... अनावेदकगण

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 15.11.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15/11/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पं.दि. 7-12-17

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3778 पी.बी.आर/15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / रिव्यु / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 4507 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07—12—17	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3778—पीबीआर / 2015 में पारित आदेश दिनांक 12—10—2017 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो । (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	